ई–मेल / परीक्षा / आवश्यक

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त नोडल प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

2– प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 2520 / रा०व्या०प्रशि०परि० / ईएक्स–005 / अ०भा०व्या०परी० अप्रैल–2020 / 2020 / लखनऊ

दिनांक 07 मार्च, 2020

विषयः <u>प्रदेश के विभिन्न राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित एवं पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, अप्रैल–2020 (ANNUAL/SEMESTER/DUAL SYSTEMS) के परीक्षा के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा अप्रैल–2020, (ANNUAL/SEMESTER/DUAL SYSTEMS) जो दिनांक 08–04–2020 से प्रारम्भ होने जा रही है। जिसमें प्रदेश में संचालित व कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान किये गये राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थी ANNUAL/SEMESTER/DUAL SYSTEMS में सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को SCVT PORTAL पर संस्थान स्तर से की जाने वाली कार्यवाही की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	अवधि
1	अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा अप्रैल–2020, (ANNUAL/SEMESTER/DUAL SYSTEMS) में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को SCVT PORTAL पर ALLOW किया जाना।	दिनांक 07–03–2020 से दिनांक 20–03–2020 तक
2	SCVT PORTAL पर ALLOW किये गये प्रशिक्षार्थियों का चालान GENERATE करना।	दिनांक 21–03–2020 से दिनांक 23–03–2020 तक
4	प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ONLINE जमा करना।	दिनांक 24–03–2020 से दिनांक 27–03–2020 तक
3	SCVT PORTAL से प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश पत्र का निर्गम।	दिनांक 02–04–2020 से दिनांक 05–04–2020 तक

परीक्षण करने पर यह भी संज्ञान में आया है कि नोडल प्रधानाचार्य द्वारा बिना scvt Portal पर Allow प्रशिक्षार्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाता है। जिसके फलस्वरुप प्रशिक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं हो पाता और अनावश्यक पत्राचार / कोर्ट केस / IGRS का सामाना पड़ता है इस लिये परीक्षा शुल्क जमा करने वाले एवं scvt Portal पर Allow प्रशिक्षार्थियों को ही विषय–प्रयोगात्मक एवं लिखित

परीक्षा में सम्मिलित कराया जाय। अन्यथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेंदारी नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की होगी।

ncvt mis Portal से जारी HALL TICKET एवं scvt Portal से जारी प्रवेश पत्र, दोनों प्रवेश पत्रों को देखकर ही प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये। किसी भी दशा में एक प्रवेश पत्र के अभाव में प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अर्थात संस्थान द्वारा प्रशिक्षार्थियों को ncvt mis Portal एवं scvt Portal दोनों Portal पर Allow करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(आर0पी0 यादव)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः /रा0व्या0प्रशि0परि0/ईएक्स–005/अ0भा0व्या0परी0 अप्रैल–2020/2020/लखनऊ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वैयक्तिक सहायक, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।
3– समस्त संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0), उत्तर प्रदेश।
4– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5– सहायक लेखाधिकारी, एस0सी0वी0टी0, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ।
6– प्रबन्धक, मेसर्स ओमनी नेट, 28, मुरली नगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– सिस्टम मैनेजर एवं प्रोग्रामर (आउट सोर्सिंग), परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0पी0 यादव)
संयुक्त निदेशक